



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102023-249576
CG-DL-E-20102023-249576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945

No. 606]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2023

सं. 14/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 765(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उप-खंड (2) में, मद (i) में, "डाक विभाग" शब्दों के बाद, "और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, "केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएं" शब्दों के बाद, "[रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को छोड़कर]" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023, जिसे सा.का.नि. 543 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 14/2023- Central Tax (Rate)

G.S.R. 765(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely:

In the said notification, in the Table, -

- (i) against serial number 5, in column (2), in item (2), in sub-item (i), after the words “Department of Posts”, the words and brackets “and the Ministry of Railways (Indian Railways)” shall be inserted;
- (ii) against serial number 5A, in column (2), after the words “Services supplied by the Central Government”, the words and brackets “[excluding the Ministry of Railways (Indian Railways)]” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification no. 13/2017 -Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) , vide number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 08/2023 -Central Tax (Rate), dated the 26th July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub-section (i) vide number G.S.R. 543(E), dated the 26th July, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 17/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 766(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (2) में, उप-खंड (2) में, मद (i) में, "डाक विभाग" शब्दों के बाद, "और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) " शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (2) में, "केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएं" शब्दों के बाद, "[रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को छोड़कर]" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 सितम्बर, 2023, सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 17/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 766(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.10/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 685(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(i) against serial number 6, in column (2), in item (2), in sub-item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;

(ii) against serial number 6A, in column (2), after the words "Services supplied by the Central Government", the words and brackets "[excluding the Ministry of Railways (Indian Railways)]" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: -The principal notification no. 10/2017 -Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 685 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 13/2023-Integrated Tax (Rate), dated the 26th September, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 691(E), dated the 26th September, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 14/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 767(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उप-खंड (2) में, मद (i) में, "डाक विभाग" शब्दों के बाद, "और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) " शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 5क के समक्ष, कॉलम (2) में, "केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएं" शब्दों के बाद, "[रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को छोड़कर]" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023, सा.का.नि. 545 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 14/2023- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 767(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(i) against serial number 5, in column (2), in item (2), in sub-item (i), after the words “Department of Posts”, the words and brackets “and the Ministry of Railways (Indian Railways)” shall be inserted;

(ii) against serial number 5A, in column (2), after the words “Services supplied by the Central Government”, the words and brackets “[excluding the Ministry of Railways (Indian Railways)]” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: -The principal notification no. 13/2017 -Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) , vide number G.S.R. 704 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 08/2023 -Union Territory Tax (Rate), dated the 26th July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub-section (i) vide number G.S.R. 545(E), dated the 26th July, 2023

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 15/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 768(अ).—केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 694 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में मन्त्रिलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैराग्राफ में, शब्दों, कोष्ठक, अक्षरों और अंकों के लिए “केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 की मद 5 के उप-मद (ख) में निर्दिष्ट” है शब्द, “एक परिसर, भवन या उसके एक हिस्से का निर्माण, जो खरीदार को पूरी तरह या आंशिक रूप से विक्री के लिए है, जहां सेवा के प्राप्तकर्ता से ली गई राशि में भूमि का मूल्य या भूमि का अविभाजित हिस्सा शामिल है, जैसा भी मामला हो हो सकता है, सिवाय इसके कि संपूर्ण प्रतिफल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके पहले कब्जे के बाद, जो भी पहले हो, प्राप्त हो गया हो”, प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट:- मुख्य अधिसूचना क्रमांक. 15/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, क्रमांक जी.एस.आर. में प्रकाशित किया गया था। 694(अ), दिनांक 28 जून, 2017।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 15/2023-Central Tax (Rate)

G.S.R. 768(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 15/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 694(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in opening paragraph, for the words, brackets, letters and figures “specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act”, the words, “of construction of a complex, building or a part thereof, intended for sale to a buyer, wholly or partly, where the amount charged from the recipient of service includes the value of land or undivided share of land, as the case may be, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier”, shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note:- The principal notification no. 15/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 694(E), dated the 28th June, 2017

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 18/2023- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 769(अ).—एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के खंड (xiii) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 687 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैराग्राफ में, शब्दों, कोष्ठक, अक्षरों और अंकों के लिए “केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 की मद 5 के उप-मद (ख) में निर्दिष्ट” है शब्द, “एक परिसर, भवन या उसके एक हिस्से का निर्माण, जो खरीदार को पूरी तरह या आंशिक रूप से बिक्री के लिए है, जहां सेवा के प्राप्तकर्ता से ली गई राशि में भूमि का मूल्य या भूमि का अविभाजित हिस्सा शामिल है, जैसा भी मामला हो हो सकता है, सिवाय इसके कि संपूर्ण प्रतिफल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके पहले कब्जे के बाद, जो भी पहले हो, प्राप्त हो गया हो”, प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, क्रमांक जी.आर.एस.687 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATIONNew Delhi, the 19th October, 2023**No. 18/2023-Integrated Tax (Rate)**

G.S.R. 769(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xiii) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 687(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in opening paragraph, for the words, brackets, letters and figures “specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act”, the words, “of construction of a complex, building or a part thereof, intended for sale to a buyer, wholly or partly, where the amount charged from the recipient of service includes the value of land or undivided share of land, as the case may be, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier”, shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note:- The principal notification no. 12/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 687(E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 15/2023- संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 770(अ).—केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के खंड (xiv) के साथ पठित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017, (2017 का 12), की धारा 54 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 706 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैराग्राफ में, शब्दों, कोष्ठक, अक्षरों और अंकों के लिए "केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 की मद 5 के उप-मद (ख) में निर्दिष्ट" है शब्द, "एक परिसर, भवन या उसके एक हिस्से का निर्माण, जो खरीदार को पूरी तरह या आंशिक रूप से बिक्री के लिए है, जहां सेवा के प्राप्तकर्ता से ली गई राशि में भूमि का मूल्य या भूमि का अविभाजित हिस्सा शामिल है, जैसा भी मामला हो हो सकता है, सिवाय इसके कि संपूर्ण प्रतिफल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके पहले कब्जे के बाद, जो भी पहले हो, प्राप्त हो गया हो", प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट:- मुख्य अधिसूचना क्रमांक. 15/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या जी.एस.आर. 706(अ), दिनांक 28 जून, 2017. में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 15/2023-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 770(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xiv) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 15/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 706(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in opening paragraph, for the words, brackets, letters and figures “specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act”, the words, “of construction of a complex, building or a part thereof, intended for sale to a buyer, wholly or partly, where the amount charged from the recipient of service includes the value of land or undivided share of land, as the case may be, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier”, shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note:- The principal notification no. 15/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 706(E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं.16/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 771(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 696 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

- i. खंड (i) में, शब्दों "ऑम्निबस या कोई अन्य मोटर वाहन" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों " या ऑम्निबस को छोड़कर कोई अन्य मोटर वाहन; प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ii. खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
 "(क) किसी ऑम्निबस द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं, सिवाय इसके कि जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है।";
- iii. अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -
 "(घ) "कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में इसे दिया गया है।"

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 696 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 813 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 16/2023-Central Tax (Rate)

G.S.R. 771(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 696(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,

- (i.) in clause (i), for the words “omnibus or any other motor vehicle”, the words “or any other motor vehicle except omnibus” shall be substituted;
- (ii.) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-
“(ia) services by way of transportation of passengers by an omnibus except where the person supplying such service through electronic commerce operator is a company.”;
- (iii.) in the Explanation, after item (c), the following item shall be inserted, namely, -
“(d) “Company” has the same meaning as assigned to it in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2013).”.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 17/2017 -Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 696 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 17/2021 -Central Tax (Rate), dated the 18th November, 2021 vide number G.S.R. 813(E), dated the 18th November, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं.19/2023 -एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 772(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

- i. खंड (i) में, शब्दों "ऑम्निबस या कोई अन्य मोटर वाहन" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों " या ऑम्निबस को छोड़कर कोई अन्य मोटर वाहन; प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ii. खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
“(ik) किसी ऑम्निबस द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं, सिवाय इसके कि जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है।”;

- iii. अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -
(घ) "कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में इसे दिया गया है।
2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, सा.का.नि. 814 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 19/2023-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 772(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.14/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 689(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i.) in clause (i), for the words “omnibus or any other motor vehicle”, the words “or any other motor vehicle except omnibus” shall be substituted;

(ii.) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ia) services by way of transportation of passengers by an omnibus except where the person supplying such service through electronic commerce operator is a company.”;

(iii.) in the Explanation to the notification, after item (c), the following item shall be inserted, namely, -

“(d) “Company” has the same meaning as assigned to it in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2023).”.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note:-The principal notification No. 14/2017 –Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 689(E), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) and was last amended by notification No. 17/2021 –Integrated Tax (Rate), dated the 18th November, 2021 vide number G.S.R. 814(E), dated the 18th November, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 16/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 773(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 708 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

- i. खंड (i) में, शब्दों "ऑम्निबस या कोई अन्य मोटर वाहन" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों " या ऑम्निबस को छोड़कर कोई अन्य मोटर वाहन; प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ii. खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
"(क) किसी ऑम्निबस द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं, सिवाय इसके कि जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है।";
- iii. अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -
" (घ) "कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में इसे दिया गया है।"

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 17/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 708 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2021-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, सा.का.नि. 815 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 16/2023- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 773(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 708(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,

- (i.) in clause (i), for the words "omnibus or any other motor vehicle", the words "or any other motor vehicle except omnibus" shall be substituted;
- (ii.) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-
"(ia) services by way of transportation of passengers by an omnibus except where the person supplying such service through electronic commerce operator is a company.";
- (iii.) in the Explanation, after item (c), the following item shall be inserted, namely, -
"(d) "Company" has the same meaning as assigned to it in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2013)."

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note:-The principal notification No.17/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 708 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 17/2021 –Union Territory Tax (Rate), dated the 18th November, 2021 vide number G.S.R. 815(E), dated the 18th November, 2021.